

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:प0 12(4)वन/05

आदेश

जयपुर, दिनांक 17 JUL 2007

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 13(51)कार्मिक/एसीआर/90 दिनांक 9-12-1997 के द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के नवीन परिपत्र प्रचलित किये गये हैं। इन परिपत्रों के आधार पर इस विभाग के आदेश क्रमांक प0 14(12)वन/91 दिनांक 11-3-1999 से प्रतिवेदन विभिन्न स्तरों पर भरने के लिए निर्धारण किया गया था। इसको अतिक्रमण कर राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को भरने के सम्बन्ध में स्तरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क0 सं0	नाम पद	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकारकर्ता
1	<u>उप वन संरक्षक</u> 1. प्रावैधिक सहायक	वन संरक्षक/संबंधित मुख्य वन संरक्षक / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन / मा0 वन मंत्री
	2-भू-संरक्षण अधिकारी वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी उप निदेशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम	वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन / मा0 वन मंत्री
	3-उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उप वन संरक्षक वन्यजीव	वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संबंधित)	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन / मा0 वन मंत्री
2.	<u>सहायक वन संरक्षक</u> 1-सहायक वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	वन संरक्षक / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन
	2-सहायक निदेशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम	उप निदेशक	वन संरक्षक / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन
	वन्यजीव प्रतिपालक	उप वन संरक्षक	वन संरक्षक / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन
	3-अनुसंधान अधिकारी/सहायक क्षेत्र निदेशक	उप वन संरक्षक/वन संरक्षक	वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन
3.	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी/सहायक अभियन्ता	उप वन संरक्षक/भू-संरक्षण अधिकारी / अधिशाही अभियन्ता	वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन
4.	सहायक उद्यान विशेषज्ञ	उप वन संरक्षक	वन संरक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वन

आज्ञा से,

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
शासन उप सचिव